

दिनांक	आज्ञा पत्र	व्याख्या
--------	------------	----------

24.11.21

पत्रावली प्रस्तुत अभिभाषक सच न आज न्यायिक कार्य स्थागित रखा। पत्रावली पूर्व आज्ञानुसार दिनांक 10.2.22 को पेश हो

10.2.22

पत्रावली प्रस्तुत अभिभाषक सच न आज न्यायिक कार्य स्थागित रखा। पत्रावली पूर्व आज्ञानुसार दिनांक 12.4.22 को पेश हो

13.4.22

पत्रावली प्रस्तुत वकील अपील/रेस्पोंडेंट/उपस्थित पीठासीन अधिकारी महोदय आज 13.4.22 पर है। अतः पत्रावली पूर्व आज्ञानुसार दिनांक 15.8.22 को पेश हो।

10.8.22

पत्रावली प्रस्तुत अभिभाषक सच न आज न्यायिक कार्य स्थागित रखा। पत्रावली पूर्व आज्ञानुसार दिनांक 7.12.22 को पेश हो।

7.12.22

पत्रावली प्रस्तुत वकील अपील/रेस्पोंडेंट/उपस्थित पीठासीन अधिकारी महोदय आज 8.12.22 पर है। अतः पत्रावली पूर्व आज्ञानुसार दिनांक 1.1.23 को पेश हो।

11.1.23

पत्रावली पेश वकील अपील को पूर्व पेशी पर हिदायत दी गई थी कि आगामी तिथि से पूर्व तामील से शेष रिकॉर्ड के रजिस्टर्ड नोटिस पेश करें अन्यथा आगामी तिथि पर आदेश 9 नियम 5 सी.पी.सी. के तहत खारिज कर दी जाएगी। आज दिनांक तक अपील के रिकॉर्ड के रजिस्टर्ड नोटिस पेश नहीं किये गये हैं इससे स्पष्ट है कि अपीलकर्ता अपनी अपील के प्रति गंभीर नहीं है। फलस्वरूप अपील अपील/रेस्पोंडेंट आदेश 9 नियम 5 सी.पी.सी. के तहत खारिज की जाती है। निर्णय पर इजलास सुनाया गया। पत्रावली फैसल शुमार होकर नम्बर से कम होकर बाद तारीख तकमील दाखिल टफतर हो।

भू-प्रबन्ध अधिकारी एवं
पदेन राजस्व अपील अधिकारी
सीकर(कैम्प मन्डान)

